आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II) का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT-II)
नवीन सीमाशुल्क भवन, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-400001.
NEW CUSTOM HOUSE, BALLARD ESTATE, MUMBAI–400001.
फोन- 02222757717, ई मेल-hindimumbaizone1@gmail.com

दिनांक: 25-03-2026
(जनवरी से मार्च-2026 की तिमाही, 63वींबैठक)

विषयः- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।
Subject: Minutes of the meeting of Official Language Implementation Committee(OLIC).

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, दिनांक 17.03.2026 को 12:00 बजे, श्री कुमार अमरेन्द्र नारायण, अध्यक्ष एवं आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है।

क्रमांक	अधिकारी के नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम	कार्यालय/विभाग
01	कुमार अमरेन्द्र नारायण	अध्यक्ष एवं आयुक्त	आयात-II
02	सुभाष यादव	अपर आयुक्त	आयात–II/राजभाषा
03	ज्योति अग्रवाल	अपर आयुक्त	आयात-II
04	मंदीप सिंह जलोटा	अपर आयुक्त	आयात-II
05	अजित रॉय तोगारे	उप आयुक्त	आयात–II
06	हरीश परमार	उप आयुक्त	आयात–II
07	अमित भाटिया	सहायक आयुक्त	आयात–II
08	अनिता एस. बगाड़े	सहायक आयुक्त	आयात–II/राजभाषा
09	जे. ए. पटेल	सहायक आयुक्त	आयात–II
10	धर्म वीर चौहान	क. अनुवाद अधिकारी	आयात-I, आयात-II एवं लेखापरीक्षा/राजभाषा

अध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरांत सदस्य सचिव श्री धर्म वीर चौहान, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की। बैठक का मिनट दर मिनट वृत्तान्त इस प्रकार है।

2-पिछली बैठक (दिनांक 24.12.2025) में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति
राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की पिछली बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे जिनपर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है।

2.1-हिन्दी प्रतियोगिता हेतु आवंटित फंड का समुचित उपयोग
पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में विश्व हिन्दी दिवस (10 जनवरी) के अवसर पर राजभाषा पुरस्कार मेला का आयोजन किया गया; और तत्पश्चात राजभाषा मंथन सह हिन्दी कार्यशाला का हर महीने नियमित रूप से आयोजन कराते हुए हिन्दी प्रतियोगिता हेतु आवंटित फंड का समुचित उपयोग कर लिया गया है।

(अनुपालन पूर्ण)

3-वर्तमान बैठक में लिए गए निर्णय
वर्तमान बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया तथा उन पर लिए गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है।

3.1-DGPM द्वारा भेजे गए हिन्दी तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा
DGPM नई दिल्ली द्वारा भेजे गए हिन्दी तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा का संदर्भ लेते हुए अध्यक्ष महदोय ने सभी को

हिन्दी में ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के निर्देश दिए। तत्कालीन वार्षिक कार्यक्रम में हिन्दी कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए ।

(कार्यवाही: समस्त समुह/अनुभाग)

3.2-हिन्दी अंग्रेजी व द्विभाषी पत्रों का वर्गीकरण

समिति के संज्ञान में लाया गया कि DGPM नई दिल्ली द्वारा प्राप्त पत्र के अनुसार शत-प्रतिशत (100%) हिन्दी/अंग्रेजी/द्विभाषी में लिखा गया पत्र ही हिन्दी/अंग्रेजी/द्विभाषी पत्र की श्रेणी में गिना जाएगा। बैठक में इस बिन्दु पर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्णय लिए गए।

(कार्यवाही: समस्त समुह/अनुभाग)

3.3-सीबीआईसी के कार्यालयों हिन्दी पत्राचार बढ़ाने हेतु

सीबीआईसी से प्राप्त पत्र में बताया गया है कि सीबीआईसी के अधीन सभी कार्यालय हिन्दी में ज्यादा से ज्यादा कार्य करें। हिन्दी में पत्राचार बढ़ाया जाए। इस बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय ने सभी समुह/अनुभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे आगे से सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी जमीनी स्तर पर हिन्दी में कार्य कर रहे हैं।

(कार्यवाही: समस्त समुह/अनुभाग प्रमुख)

3.4-अन्य बिन्दु/सुझाव

इस बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि राजभाषा नियमानुसार टिप्पणी एवं पत्र (मसौदे) हिन्दी में लिखे जाएं। लक्ष्य से भी ज्यादा कार्य हिन्दी में किया जाए। टिप्पणी व मसौदा लेखन कार्य करते समय अनिवार्य रूप से सभी भौतिक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाए; हिन्दी भाषा लिखने के लिए ई-ऑफिस में विद्यमान कंठस्थ यूटिलिटी, क्विक नोटिंग का प्रयोग किया जाए और हिन्दी टायपिंग के लिए युनिकोड, हिन्दी फनेटिक, गूगल इनपुट टूल, वाइस टायपिंग आदि प्रयोग किया जाए; और हिन्दी अनुवाद व हिन्दी भाषा शब्दों का प्रयोग बढ़ाने के लिए अनुवाद सारथी, गूगल ट्रांस्लेट एवं अनुवाद हेतु अन्य ऑनलाइन वेबसाइटों एवं ऐप्स का प्रयोग किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त समुह/अनुभाग)

अंत में सदस्य सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
इसे आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by
Anita Sambhaji Bagade
Date: 25-03-2026
13:28:11

(अनिता एस. बगाड़े)
सहायक आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-II)/राजभाषा

प्रतिलिपि:-

1-मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सादर सूचनार्थ।
2-आयुक्त (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सादर सूचनार्थ।
3-समस्त अपर/संयुक्त आयुक्त (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
4-समस्त उप/सहायक आयुक्त (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
5-मुख्य लेखाधिकारी (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
6-समस्त समुह/अनुभाग (आयात-II), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
7-सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।
8-सहायक निदेशक/राजभाषा, DGPM, नई दिल्ली, को अनुपालन रिपोर्ट के रूप में प्रेषित। (म.सं.-2)
9-ई.डी.आई, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।